फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

मोहन कंवर बनाम भंवर सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या – 238/2023 दावा

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस मे प्रा०पत्र मे (07R11CPC) अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रा०पत्र 07R11CPC को स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी/वादीया ने अपनी बहस मे जवाब प्रा०पत्र 07R11CPC में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा०पत्र 07R11CPC को खारिज किया जावे। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 07R11CPC व जवाब प्रा०पत्र 07R11CPC का आद्योपान्त अवलोकन करते व वकील उभयपक्षो की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादिया ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाके ग्राम रहमीयला, तहसील सांगानेर के सामिल ख०न० 862, 854, 884, 885, 887, 888, 890, 891, 892, 851/1272, 854/1272 कुल किता 11 कुल रकबा 27 बीघा एवं खसरा नम्बर 849, 850, 851, 853 कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के संबंध मे यह कथन करते हुये वाद प्रस्तुत किया कि वादीया के दादा भगवत सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत खातेदार कृषक थे और भगवत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भगवत सिंह की पत्नी खानगी आराजी का नामान्तकरण भगवत सिंह की पत्नी ठुकरानी मेडतरानी रतन कंवर के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे सम्वत् 2015 से 2034 मे दर्ज हुई उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1643, 1655, 1691, 1657, 1658, 1664, 1665, 1668, 1669, 1667, 1666, 1581, 1584, 1582, 1583, 1656 बने है। उक्त आराजी वादीया ने पैतृक आराजी वाद पत्र मे अंकित किया है, जिस पर वादीया अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है जबकि दावे मे वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि विवादग्रस्त कभी भी वादिया के पैतृक नही रही है, क्योंकि उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार ठकुरानी मेडतरानी रतन कंवर की [illegible] जो खुदकाश्त होने के आधार पर उनके नाम [illegible] दर्ज हुई है और ठकुरानी मेडतरानी [illegible] मे दिनांक 03/01/1992 को [illegible] पुत्र भंवर सिंह के पक्ष मे तहरीर कर [illegible] करवा दिया जिस मुख्तयारनामा आम के आधार पर [illegible] भंवर सिंह ने विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि को विभिन्न विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत करवाये है उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर विधिवत — लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

मोहन कंवर बनाम भंवर सिंह व अन्य

प्रकरण संख्याः– 238/2023 दावा

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण तस्दीक होकर क्रेतागण का नाम उक्त विवादग्रस्त भूमि मे दर्ज हुई इस प्रकार वादीया को राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार पैतृक आराजी भूमि नही रही है। प्रति सं. 1 भंवरसिंह के द्वारा मुख्तयारनामा आम के आधार पर प्रार्थीया व अन्य प्रतिवादीगण को बिना कब्जे के विक्रय कर दिया उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही वादीया के हक अधिकारो के विपरीत है एवं नल एण्ड वोइड है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को ही प्राप्त है प्रतिवादी विक्रय पत्र दिनांक से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादिया का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया/प्रतिवादी सं. 6 व 7 की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार के नाम आवासीय योजना विकसित है जिसके सम्बन्ध मे आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क (8) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी, जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नियमानुसार अधिसूचना प्रकाशित कर दिनांक 18/12/2023 के आदेश द्वारा उक्त भूमि से खातेदारो के खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान किये जाने व पुनर्ग्रहित किये जाने का आदेश पारित कर उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीया ने कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। उपायुक्त, प्राधिकृत अधिकारी, जोन-12 द्वारा क्रमांकः सुओमोटो/2023/डी-53 दिनांक 18/12/2023 को पारित आदेश के पश्चात उक्त भूमि ना तो कृषि भूमि शेष रही है और ना ही किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार शेष रहे हैं ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व [illegible] के समक्ष वादीया का वाद संधारण योग्य नही रह जाता [illegible] प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 [illegible] वादीया का वाद आराजी खसरा नं० 16[illegible], 1655, 16[illegible], 1658, 1664, 1665, 1668, 1669, 1667, 1666, 1581, 1584, 15[illegible], 1583, 1656 वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पत्रावली पृथक से तैयार कर पेश करें। सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:00 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 238/2023
निर्णय दिनांक : 25.07.2024

मोहन कंवर

बनाम

भंवर सिंह वगै0

दावा बाबत तकासमा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद आराजी खसरा नम्बर 1643, 1655, 1691, 1657, 1658, 1664, 1665, 1668, 1669, 1667, 1666, 1581, 1584, 1582, 1583, 1656 ग्राम दहमीकंला तह0 सांगानेर खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

आज तारीख 25.07.2024 को बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:00 IST
Reason: SelfAttested